न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-3065-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.07.2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्र. 30/अपील/11-12

श्रीमती बगनीबाई बेवा कलीराम पाविल
निवासी- राजेन्द्र वार्ड बैतूल बाजार बैतूल
तह. व जिला बैतूल (म.प्र.) .....**आवेदिका**

विरुद्ध

दिनेश कोटवार आ0 भैयालाल
निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूल
तह. व जिला बैतूल (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील भारद्वाज

आदेश

(आज दिनांक....02.05.19.....को पारित)

यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 30/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बैतूल बाजार के ग्राम कोटवार श्री कलीराम वल्द रामपत का दिनांक 19.03.2008 को स्वर्गवास हो जाने से रिक्त पद पर नवीन कोटवार की नियुक्ति हेतु न्यायालय नायब

तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए तथा जांचोपरांत आदेश दिनांक 03.05.2008 द्वारा अनावेदक को कोटवार हेतु नियुक्त किए जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 12.04.2010 द्वारा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदकों के साक्ष्य लिए जाकर नगर पंचायत बैतूल बाजार का प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण किया जावे। जिस पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2011 द्वारा पूर्व में पारित आदेश स्थिर रखा। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा पुन: अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.10.2011 द्वारा पुन: प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रत्यावर्तित आदेश के विरुद्ध आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर अपील प्रस्तुत की है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के अतिरिक्त अनंत कुमार एवं मदन गोपाल दो और पक्षकार थे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी दिनेश द्वारा मात्र इस पुनरीक्षणकर्ता को ही पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में तथा इस स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न देखते हुए तथा मूलत: अपील मेमो दूषित होने से ही प्रकरण निरस्ती योग्य था। अत: अपील निरस्ती योग्य थी, जो स्वीकार कर गंभीर भूल की है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वास्तव में स्व. रामपद के परिवार अथवा उसे उत्तराधिकारियों को कोटवारी का अग्र अधिकार प्राप्त है और उस श्रंखला में यदि श्री शालिगराम का पुत्र मदनगोपाल कोटवार पद के लिए निवेदन कर रहा है, जिसे इस पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सहयोग किया गया है तब

निश्चित रूप से इस प्रार्थना पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत निष्कर्ष देकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नाधीन आदेश में जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं वह संहिता की धारा-230 के प्रावधान के विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों के साथ न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 250 (उच्च न्यायालय) बृजलाल विरुद्ध प्यारी, 1979 आर.एन. 587 जमुनाबाई विरुद्ध रामलाल, 1979 आर.एन. 551 सन्तराम विरुद्ध सुरजा, 1996 आर.एन. 25 भगवानदास विरुद्ध नाथूराम प्रस्तुत किए गए हैं।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। तथा ब्लड-प्रेशर एवं शुगर की बीमारियों से ग्रसित होकर वृद्धावस्था में है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को इस पद हेतु उपयुक्त नहीं मानकर तहसीलदार ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की है उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया। प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा बैतूल बाजार के कोटवार के स्वर्गवास हो जाने पर नए कोटवार की नियुक्ति की जानी थी। इसके लिए तहसीलदार द्वारा विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। उक्त पद के लिए 4 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आवेदनों के संबंध में नगर पंचायत बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया। नगर पंचायत बैतूल के प्रस्ताव क्र. 4 दिनांक 16.09.10 के अनुसार अनावेदक को कोटवार नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया। तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने सभी आवेदकों की योग्यता के बारे में गुण-दोषों पर विचार करते हुए अनावेदक को इस पद हेतु उपयुक्त पाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। तथा ब्लड-प्रेशर एवं

शुगर की बीमारियों से ग्रसित होकर वृद्धावस्था में है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को इस पद हेतु उपयुक्त नहीं मानकर तहसीलदार ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की है। मैं आवेदक अभिभाषक के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में शेष दो आवेदकों को पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि यह विवाद केवल आवेदक एवं अनावेदक(जो कोटवार के पद पर नियुक्त हुआ है) के मध्य ही केन्द्रित रह गया है। शेष आवेदक जिन्हें कोटवार के पद पर नियुक्त नही किया है, उन्होंने तहसीलदार के आदेश को चुनौती नहीं दी है। इस प्रकार शेष दो आवेदक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं रह गए हैं। अत: औपचारिक पक्षकारों का समायोजन न करने पर अपील को उपशमित नहीं किया जाना चाहिए। मैं आवेदक के इस तर्क से भी सहमत नहीं हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है इसलिए उसे अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। मेरे मत में अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम रूप से आदेश पारित करते हुए प्रकरण को पुन: विचार हेतु तहसीलदार को भेजा है। यह निर्णय अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का अंतिम निर्णय था उसमें अनुविभागीय को आगे कोई अन्य कार्यवाही नही करना थी इसलिए इसे अंतरिम आदेश कहना उपयुक्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने में कोई वैधानिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(बी.एम. शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर